एस.एस. संधावालिया, सी.जे. और पी.सी. जैन, जे. के समक्ष

बजिंदर सिंह और अन्य,-याचिकाकर्ता

बनाम

सहायक कलेक्टर और अन्य,-प्रतिवादी।

1981 की सिविल रिट याचिका संख्या 565।

13 जनवरी 1983.

पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (विनियमन) अधिनियम (1961 का XVIIII) पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) हरियाणा संशोधन अधिनियम (1981 का 2) द्वारा संशोधित -संशोधन अधिनियम द्वारा पेश की गई धारा 13, 13 ए और 13 डी द्वारा सिविल न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र पूर्वव्यापी रूप से हटा दिया गया है - ऐसे न्यायालयों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के वैध अभ्यास में पारित किए गए निर्णय और डिक्री निष्क्रिय हो गए हैं -विधानमंडल द्वारा संशोधन अधिनियम लागू करना - चाहे न्यायालयों की न्यायिक शक्तियों पर कुठाराघात हो - संशोधन अधिनियम - चाहे असंवैधानिक हो।

अभिनिर्णीत किया कि हमारे संविधान में, हालांकि न्यायिक और विधायी कार्यों के बीच एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कोई कट और सूखा विभाजन नहीं है,फिर भी यह अब बिना किसी संदेह के पूर्वनिर्धारित रूप से तय हो गया है कि विधायिका किसी न्यायालय के विधिवत दिए गए फैसले को उलटने या रद्द करने के लिए राज्य की सख्ती से न्यायिक शाखा में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। हमारे न्यायशास्त्र में किसी राज्य की मुख्य न्यायिक शाखा में कोई भी ज़बरदस्त विधायी घुसपैठ असंवैधानिक है।

एक बार ऐसा होने पर, 1961 से पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 में धारा 13 सम्मिलित करके (हरियाणा संशोधन अधिनियम 2, 1981 के माध्यम से) विधायिका ने दो दशकों से अधिक समय से सिविल न्यायालयों द्वारा क्षेत्राधिकार के वैध अभ्यास को समाप्त करके और कुछ मामलों में अंतिम न्यायालय तक कानूनी रूप से तय किए गए निहित सार्वजनिक और निजी अधिकारों को निरस्त करके न्यायिक क्षेत्र में खुलेआम घुसपैठ की है। 1961 से 1981 तक सिविल न्यायालयों ने उन्हें आवंटित क्षेत्र के भीतर उनके समक्ष लाए गए मामलों पर फैसला सुनाया और उन पर निर्णय देकर वैध रूप से अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया। 1981 के अधिनियम 2 द्वारा डाली गई वर्तमान धारा 13 इस सब को शून्य करने और सिविल न्यायालयों द्वारा उनके निहित क्षेत्राधिकार के वैध अभ्यास में दिए गए सभी निर्णयों और आदेशों को कलम के एक झटके से मिटा देने का प्रयास करती है। ट्रायल कोर्ट के इन निर्णयों को उच्च न्यायालय और स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के हाथों से अनुमोदन प्राप्त हो सकता है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि वैध रूप से दिए गए सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के फैसले को केवल विधायी आदेश द्वारा उलटा या निरस्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि न्यायिक और विधायी विंग अलग-अलग और विशिष्ट हैं। एक-दूसरे के खेतों में अतिक्रमण या अतिक्रमण नहीं कर सकते। जिस तरह कोई अदालत कानून नहीं बना सकती और कानून नहीं बना सकती, उसी तरह विधायिका संभवतः पार्टियों के व्यक्तिगत अधिकारों और देनदारियों पर फैसला नहीं दे सकती और न ही खुद फैसला दे सकती है। क्या यह न्यायालय द्वारा वैध रूप से दिए गए ऐसे निर्णय को पलट कर या रद्द करके निरस्त कर सकता है। संक्षेप में, यहां तक कि वैध रूप से दिए गए एक भी निर्णय को केवल विधायी आदेश द्वारा ओवरराइड या गैर-स्थायी घोषित नहीं किया जा सकता है। यह घोषणा करने की सरल चाल कि सिविल न्यायालय या अन्य वैध रूप से गठित ट्रिब्यूनल या न्यायिक प्राधिकरण को पूर्वव्यापी रूप से क्षेत्राधिकार से वंचित कर दिया गया है, वास्तव में पहले से ही क्षेत्राधिकार के वैध अभ्यास को अवैध और गैर-स्थायी के रूप में प्रस्तुत करेगा। इस प्रकृति के एक व्यापक उपकरण द्वारा सक्षम

क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों द्वारा न्यायिक शक्ति के वैध प्रयोग को इस तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता है जैसे कि यह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। इस प्रकार, पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) हरियाणा संशोधन अधिनियम (1981 का 2) द्वारा 1961 के बाद से सिविल न्यायालयों द्वारा वैध रूप से प्रयोग किए जाने वाले सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को पूर्वव्यापी रूप से निरस्त करना, स्पष्ट रूप से विधायिका द्वारा न्यायिक शक्ति पर आघात के समान है। . नतीजतन, मई, 1961 से प्रभावी धारा 13 का काल्पनिक प्रतिस्थापन और इस प्रकार उक्त तिथि से पूर्वव्यापी प्रभाव देना, असंवैधानिक माना जाता है और रद्द कर दिया जाता है।

(पैरा 6, 9, 10, 11, 12, 13 और 18)।

मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए माननीय श्री न्यायमूर्ति एम.आर. शर्मा और माननीय श्री न्यायमूर्ति एम.एम. पुंछी की खंडपीठ द्वारा 3 नवंबर, 1981 को मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेजा गया। माननीय द्वितीय मुख्य न्यायाधीश श्री एस.एस. संधावालिया, माननीय श्री एम.आर. शर्मा और माननीय श्री न्यायमूर्ति के.एस. तिवाना की बड़ी पीठ ने 5 अगस्त को मामले को फिर से डिवीजन बेंच को भेज दिया; 1982 संबंधित प्रश्न का उत्तर देने के बाद मामले के निर्णय के लिए। डिवीजन बेंच में माननीय मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं। श्री एस.एस. संधावालिया और माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रेम चंद जैन ने अंततः 13 जनवरी, 1983 को प्रश्न का निर्णय लिया और अंतिम निर्णय के लिए मामले को फिर से एकल पीठ को भेज दिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत संशोधित याचिका जिसमें प्रार्थना की गई है कि निम्नलिखित राहतें दी जाएं: -

(i) आवेदन, अनुलग्नक पी. 2 और आक्षेपित आदेश अनुलग्नक पी. 3 से संबंधित प्रतिवादी संख्या 1 के रिकॉर्ड की मांग करते हुए प्रमाण पत्र की प्रकृति की एक लिखित प्रति जारी की गई, और उसी के अवलोकन के बाद, आक्षेपित आवेदन, अनुलग्नक पी 2 और आक्षेपित आदेश अनुलग्नक पी. 3 को रद्द किया जाए और प्रतिवादी संख्या 1 को आवेदन, अनुलग्नक पी. 2 पर कोई भी आगे की कार्यवाही करने से रोका जाए;

(ii) (ए) यह घोषित किया जा सकता है कि पंजाब गांव की धारा 13, 13-ए और 13-डी। सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961, जैसा कि 1981 के हरियाणा अधिनियम संख्या 2 की धारा 4 और 5 द्वारा डाला गया है, भारत के संविधान के अधिकारातीत हैं;

(iii) कोई अन्य उपयुक्त रिट, निर्देश या आदेश जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, जारी किया जाएगा; "

(iv) एक अंतरिम आदेश जारी किया जाए जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 को आवेदन परिशिष्ट पी. 2 पर कोई भी आगे की कार्यवाही करने और इस रिट याचिका का निर्णय होने तक आदेश परिशिष्ट पी. 3 को लागू करने से प्रतिबंधित किया जाए; और

(v) याचिकाकर्ताओं को याचिका की लागत की अनुमति दी जाए।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद स्वरूप और अधिवक्ता संजीव पब्बी उपस्थित थे।

उत्तरदाताओं के लिए हरभगवान सिंह, ए.जी., हरियाणा और जी.एल. बत्रा, वरिष्ठ डी.ए.जी.

हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से यू. डी. गौड़, अधिवक्ता।

एम. एस. बेदी, वकील, प्रतिवादी संख्या 2 के लिए।

निर्णय

एस.एस. संधावालिया, सी.जे.

1. क्या सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का पूर्वव्यापी निरसन दो दशकों से अधिक समय से वैध रूप से किया जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप दिए गए सभी निर्णयों और आदेशों को शून्य कर दिया जाएगा, जो विधायिका द्वारा न्यायिक शक्ति पर आघात के बराबर होगा, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दो मामले. अधिक विशेष रूप से पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1961 की हाल ही में जोड़ी गई धारा 13 की संवैधानिकता पर 4 मई, 1961 से पूर्वव्यापी प्रभाव से 1981 के हरियाणा एक्ट नंबर 2 द्वारा पूर्वोक्त आधार पर हमला किया गया है।

2. तथ्यात्मक मैट्रिक्स 1981 के 565 से लिया जा सकता है - बरजिंदर सिंह बनाम हरियाणा राज्य आदि। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वे गांव डंडौता, तहसील गुहला, जिला कुरूक्षेत्र में स्थित 181 कनाल 10 मरला कृषि भूमि के मालिक हैं। 13 नवंबर, 1973 को सिविल कोर्ट के एक डिक्री के आधार पर, ग्राम पंचायत दंडौता के सरपंच ने पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट 1981 (इसके बाद इसे एक्ट कहा जाएगा) की धारा 13-ए के तहत एक आवेदन दायर किया।) हरियाणा अधिनियम 34, 1974 द्वारा संशोधित, सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, कैथल के समक्ष, जिन्होंने अपने आदेश, दिनांक 13 अक्टूबर, 1975 द्वारा याचिकाकर्ताओं के पक्ष में सिविल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने उपरोक्त आदेश को चुनौती देते हुए 1975 के सी.डब्ल्यू.पी. नंबर 5922 को प्राथमिकता दी, जिसे 10 सितंबर, 1979 को डिवीजन बेंच ने निर्णय अनुलग्नक पी 1 के तहत अनुमति दी थी, औरसहायक कलक्टर, प्रथम श्रेणी, कैथल का आदेश रद्द कर दिया गया। हालाँकि, हरियाणा राज्य की विधायिका ने पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) हरियाणा संशोधन अधिनियम, 1980 (1981 का अधिनियम संख्या 2) पारित किया, जिसे 31 जनवरी, 1981 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और प्रकाशित किया गया। 12 फरवरी, 1981 को राजपत्र में।

3. ग्राम पंचायत, डंडौता ने अधिनियम की धारा 13-ए के तहत 29 जनवरी, 1981 को फिर से सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, गुहला के न्यायालय में डिक्री को रद्द करने के लिए एक आवेदन, संलग्नक पी. 2 दायर किया। सिविल कोर्ट ने 13 नवंबर, 1973 के वाद संख्या 13 और 1 में याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया और इसके परिणामस्वरूप ग्राम दंदौता का उत्परिवर्तन संख्या 311 पारित कर दिया। रिट याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि न केवल सहायक है। कलेक्टर, प्रथम श्रेणी ने उपरोक्त आवेदन पर विचार किया, लेकिन 29 जनवरी, 1981 को एक अंतरिम आदेश संलग्नक पी.3 पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ताओं को उपरोक्त भूमि पर खेती करने और उसमें कोई भी बदलाव करने से रोक दिया गया। रिट याचिकाकर्ताओं ने 1981 के अधिनियम संख्या 2 द्वारा डाली गई धारा 13, 13-ए और 13-डी की संवैधानिकता को उसी आधार पर चुनौती दी, जिस पर 1974 के संशोधित हरियाणा अधिनियम द्वारा पेश की गई पिछली धारा 13-ए थी। द करनाल को-ऑपरेटिव फार्मर्स सोसाइटी लिमिटेड बनाम ग्राम पंचायत, पेहोवा और अन्य[1] मामले में डिवीजन बेंच ने इसे खारिज कर दिया था।

4. प्रतिवादी-राज्य और सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, गुहला की ओर से लिया गया रुख यह है कि 1981 के अधिनियम 2 द्वारा पेश किए गए संशोधित संशोधन वैध और संवैधानिक हैं। यह दावा किया जाता है कि विधायिका किसी भी कानून को पूर्वव्यापी रूप से लागू कर सकती है ताकि किसी फैसले के प्रभाव को खत्म किया जा सके और यहां तक कि सिविल न्यायालयों द्वारा 20 वर्षों से अधिक समय से वैध रूप से प्रयोग किए गए क्षेत्राधिकार को पूरी तरह से रद्द करना न्यायिक क्षेत्र में किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं है।

[1] 1976 P.L.J. 237.

5. यह स्पष्ट है कि चुनौती दिए गए प्रावधानों की संवैधानिकता का मुद्दा पूरी तरह से कानूनी है। हालाँकि, इस मामले को इसके विशेष और कुछ हद तक अजीब विधायी इतिहास में देखना उपयुक्त है। जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित अधिनियम की धारा 13 में निर्धारित है कि किसी भी सिविल न्यायालय के पास उक्त अधिनियम के संचालन से उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। जाहिर तौर पर सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर रोक की प्रकृति के संबंध में न्यायालयों द्वारा की गई व्याख्या के परिणामस्वरूप विधायिका ने पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) हरियाणा एक्ट 34, 1974 द्वारा इसमें संशोधन करने का फैसला किया, जो आया 12 नवंबर, 1974 को लागू हुआ। इस संशोधन के आधार पर मूल धारा 13 को प्रतिस्थापित किया गया और दो नई धाराएं, अर्थात् धारा 13-ए और 13-बी को अधिनियम में जोड़ा गया। इन संशोधनों को करनाल सहकारी किसान सोसायटी के मामले (सुप्रा) में चुनौती का विषय बनाया गया था। डिवीजन बेंच एक व्यापक फैसले में इस निष्कर्ष पर पहुंची कि धारा 13-ए की उप-धारा (3) अधिकारातीत है और चूंकि उक्त धारा के अन्य प्रावधान उसी के इर्द-गिर्द घूमते हैं, इसलिए,संपूर्ण धारा असंवैधानिक थी और परिणामस्वरूप इसे रद्द कर दिया गया। यह देखा गया कि धारा 13-बी के अधिकार को कोई चुनौती नहीं दी गई थी।

6. प्रतिवादी-हरियाणा राज्य ने स्पष्ट रूप से उक्त निर्णय को स्वीकार कर लिया और इसके खिलाफ अपील नहीं की। हालाँकि, एक आवश्यक परिणाम के रूप में इसने 1981 के पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) हरियाणा संशोधन अधिनियम संख्या 2 को अधिनियमित किया।इस प्रकार मौजूदा धारा 13 में पर्याप्त परिवर्तन किए गए और जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, इन्हें दो दशक पहले, यानी 4 मई, 1961 से पूर्वव्यापी रूप से लागू करने की मांग की गई थी। इसी प्रकार मौजूदा धारा 13-ए और 13-बी को 12 नवंबर, 1974 से क़ानून की किताब से हटा दिया गया और 4 मई, 1961 से नई धाराएँ 13-ए, 13-बी, 13-सी और 13-डी पूर्वव्यापी रूप से शामिल की गईं। धारा 13 सहित वैधानिक प्रावधानों का सही परिप्रेक्ष्य रखने के लिए, जो स्पष्ट रूप से हमारे सामने चुनौती का विषय है, हरियाणा में लाए गए क्रमिक विधायी परिवर्तनों को पहले एक-दूसरे के सामने रखा जा सकता है: -

1961 अधिनियम	1974 अधिनियम	1981 अधिनियम
13) सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर रोक।	4. 1961 के पंजाब अधिनियम 18 की धारा 13 का प्रतिस्थापन	4. 1961 के पंजाब अधिनियम 18 की धारा 13 का प्रतिस्थापन

इस अधिनियम के संचालन से उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले पर किसी सिविल अदालत का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

■ मूल अधिनियम की धारा 13 के लिए, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्-

'13. क्षेत्राधिकार की बाधा-- किसी भी सिविल न्यायालय के पास किसी पर विचार करने या निर्णय देने का क्षेत्राधिकार नहीं होगा

यह प्रश्न कि क्या कोई भूमि या अन्य चल संपत्ति या ऐसी भूमि या अन्य अचल संपत्ति में कोई अधिकार या हित इस अधिनियम के तहत पंचायत में निहित है या नहीं है; या ,

(बी) किसी अन्य मामले के संबंध में जिसे निर्धारित करने के लिए कोई अधिकारी इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत सशक्त है; या

(सी) किसी भी कार्रवाई की वैधता पर सवाल उठाना इस अधिनियम के तहत ऐसा करने के लिए सशक्त किसी भी प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया गया कोई भी मामला।

13-ए. कुछ डिक्री को रद्द किया जाना चाहिए और मामलों की नए सिरे से सुनवाई की जानी चाहिए।- (1) जहां किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भूमि या अन्य अचल संपत्ति के संबंध में किसी भी पंचयत के खिलाफ सिविल कोर्ट

मूल अधिनियम की धारा 13 के लिए, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी और 4 मई, 1961 से प्रतिस्थापित मानी जाएगी, अर्थात्:-

13. क्षेत्राधिकार की वर्जना - कोई भी सिविल न्यायालय नहीं करेगा अधिकार क्षेत्र है-

(ए) किसी भी प्रश्न पर विचार करना या निर्णय देना चाहे-

(1) कोई भी भूमि या अन्य अचल संपत्ति ओआई है शामलात देह नहीं है;

(2) कोई भूमि या अन्य चल संपत्ति या उसके अधिनियम के तहत ऐसी भूमि या अन्य अचल पंचायत में कोई अधिकार, स्वामित्व या हित;

(बी) किसी भी मामले के संबंध में जिसे निर्धारित करने के लिए कोई भी राजस्व न्यायालय, अधिकारी या प्राधिकरण इस अधिनियम के तहत या इसके तहत सशक्त है; या

ई-सिविल कोर्ट से डिक्री प्राप्त की गई है। इसे खंड (जी) के तहत शत्तिताई देह से बाहर किया जा रहा है

धारा 2 के या उपधारा में उल्लिखित किसी भी आधार पर

(3) धारा 4 के, और संबंधित ब्लॉक विकास और पंचायल अधिकारी, सामाजिक शिक्षा, ने वादपत्र में दिए गए कथनों के समर्थन में पुन: स्थल अभिलेखों की प्रासंगिक प्रविष्टियों की प्रतियां प्रस्तुत नहीं की थीं। पंचायल अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी या कोई निवासी

वह गांव, जहां भूमि या अन्य अचल संपत्ति स्थित है, पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स, (विनियमन) हरियाणा संशोधन अधिनियम, 1974 के लागू होने की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर, बना सकता है। जिस गांव में भूमि या अन्य अचल संपत्ति स्थित है, उस गांव में अधिकार क्षेत्र रखने वाले प्रथम श्रेणी के सहायक कलेक्टर की डिक्री को रद्द करने के लिए एक आवेदन।

(2) आवेदन प्राप्त होने पर, प्रथम श्रेणी के सहायक कलेक्टर संबंधित सिविल न्यायालय से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब करेंगे और डिक्री-धारक को निर्धारित तरीके से एक नोटिस भी देंगे।

(3) मुकदमे का रिकार्ड प्राप्त होने के बाद

और नोटिस की तामील डिक्री-धारक पर प्रभावी हो गई है, प्रथम श्रेणी के सहायक कलेक्टर रिकॉर्ड की जांच करेंगे और डिक्री धारक को सुनेंगे ताकि वह खुद को संतुष्ट कर सके कि राजस्व रिकॉर्ड की प्रासंगिक प्रविष्टियों की प्रतियां हैं या नहीं मुक़दमे में दिए गए कथनों के समर्थन में परीक्षण के दौरान प्रस्तुत किया गया था

सूट का. यदि वह संतुष्ट है कि उक्त प्रविष्टियों की प्रतियां इस प्रकार प्रस्तुत नहीं की गई हैं तो वह डिक्री को रद्द कर देगा।

(सी) किसी भी कार्रवाई की वैधता पर सवाल उठाना या

इस अधिनियम के तहत ऐसा करने के लिए नियुक्त किसी भी राजस्व न्यायालय, अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया गया मामला।

13-ए. न्यायनिर्णयन.- (1) कोई भी व्यक्ति या पंचायत के मामले में या तो पंचायत या उसके ग्राम सचिव, संबंधित ब्लॉक विकास और पंचायत अधिकारी, सामाजिक शिक्षा और पंचायत अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा विधिवत अधिकृत कोई अन्य अधिकारी इस अधिनियम के तहत पंचायत में निहित या निहित मानी जाने वाली किसी भी भूमि या अन्य अचल संपत्ति पर अधिकार, स्वामित्व या हित का दावा करने वाला व्यक्ति, इसके प्रारंभ होने की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर कर सकता है। पुन जाब विलेज कॉमन भूमि (विनियमन) हरियाणा संशोधन अधिनियम, 1980, न्यायनिर्णयन के लिए मुकदमा दायर करें, चाहे ऐसी भूमि या अन्य अचल संपत्ति शामलात देह है या नहीं और क्या कोई भूमि या अन्य अचल संपत्ति या उसमें कोई अधिकार, स्वामित्व या हित इस अधिनियम के तहत सहायक कलेक्टर की अदालत में पंचायत में निहित है या नहीं है। प्रथम श्रेणी का उस क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र है जहां ऐसी भूमि या अन्य अचल संपत्ति स्थित है।

(2) उप-धारा (1) के तहत मुकदमों को तय करने की प्रक्रिया वही होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908. 13-बी और 13-सी में निर्धारित है।

13-डी. इस अधिनियम के प्रावधान सर्वोपरि होंगे।- इस अधिनियम के प्रावधान किसी भी कानून, समझौते, लिखत, प्रथा, प्रथा, डिक्री या किसी अदालत या अन्य प्राधिकारी के आदेश में निहित किसी भी प्रतिकूल बात के बावजूद प्रभावी नहीं होंगे।

यदि मैं उपरोक्त प्रावधानों का कुछ विस्तार से वर्णन करूँ तो विधायिका द्वारा न्यायिक शक्ति में कटौती की अवधारणा को संक्षेप में विस्तार से बताना आवश्यक हो जाता है। हमारे संविधान में, यद्यपि न्यायिक और विधायी कार्यों के बीच कोई आंशिक क्षेत्र में कोई कटा-फटा विभाजन नहीं है, फिर भी यह अब बिना किसी संदेह के प्रमाणिक रूप से तय हो गया है कि विधायिका किसी न्यायालय के विधिवत दिए गए फैसले को उलटने या रद्द करने के लिए राज्य की सख्ती से न्यायिक शाखा में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। चूँकि मामला अब अंतिम न्यायालय के बाध्यकारी उदाहरणों द्वारा समाप्त हो गया है, इसलिए इसे सिद्धांत रूप में विस्तृत करना अनावश्यक है। लगभग चार दशक पहले बसंत चंद्र घोष और अन्य बनाम अंपायर[2] मामले में इस अंतर को मुख्य न्यायाधीश स्पेंस ने निम्नलिखित शब्दों में उजागर किया था: -

"एक 'विधायी' अधिनियम और एक 'न्यायिक' अधिनियम के बीच अंतर सर्वविदित है, हालांकि विशेष उदाहरणों में यह कहना आसान नहीं हो सकता है कि किसी अधिनियम को एक श्रेणी में माना जाना चाहिए या दूसरे में। विधायिका केवल कानून बनाने के लिए अधिकृत है। धारा 10 के खंड (2) द्वारा प्रभावित कुछ लंबित कार्यवाही तथ्य के प्रश्न उठा सकती हैं और उनका निर्धारण पूरी तरह से तथ्य के प्रश्नों पर निर्भर हो सकता है, न कि कानून के किसी नियम पर, उदाहरण के लिए, जब यह आरोप लगाया जाता है कि हिरासत का आदेश वास्तव में उस प्राधिकारी का कार्य नहीं था जिसके द्वारा इसे बनाया जाना माना जाता है या यह एक दुर्भावनापूर्ण आदेश था या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया आदेश था जिसे इसे बनाने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था। यह निर्देश कि ऐसी कार्यवाही को ख़ारिज कर दिया जाए, स्पष्ट रूप से एक न्यायिक कार्य है, न कि किसी कानून का अधिनियमन। हालाँकि, इस अवधारणा का अधिक विस्तृत और आधिकारिक प्रतिपादन मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्लाह ने श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम ब्रोच बरो नगर पालिका और अन्य[3] में कर प्रावधान के बाद के सत्यापन के संदर्भ में संविधान पीठ के लिए बोलते हुए दिया था निम्नलिखित शर्तें:-

"* * *, विधायी क्षमता को देखते हुए, केवल यह घोषित करना पर्याप्त नहीं है कि न्यायालय का निर्णय बाध्य नहीं होगा, क्योंकि यह न्यायिक शक्ति के प्रयोग में निर्णय को उलटने के समान है जो विधायिका के पास नहीं है या जिसका प्रयोग नहीं किया जाता है। न्यायालय का निर्णय हमेशा बाध्यकारी होना चाहिए जब तक कि जिन शर्तों पर वह आधारित है वे मौलिक रूप से इतनी बदल न जाएं कि बदली हुई परिस्थितियों में निर्णय नहीं दिया जा सके।

उपरोक्त दृष्टिकोण को और भी अधिक मजबूती से दोहराते हुए हेगड़े जे. ने अहमदाबाद शहर के नगर निगम और अन्य बनाम द न्यू श्रॉक एसपीजी एंड डब्ल्यूवीजी कंपनी लिमिटेड[4] में निम्नानुसार प्रेक्षित किया: -

"गुजरात राज्य को इस प्रावधान को लागू करने में उचित सलाह नहीं दी गई थी। वह प्रावधान राज्य की न्यायिक शक्तियों में सीधा प्रवेश करने का प्रयास करता है। हमारे संविधान के तहत विधानमंडलों को निर्धारित सीमाओं के भीतर, संभावित और पूर्वव्यापी रूप से कानून बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं। उन शक्तियों का प्रयोग करके, विधायिका एक सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आधार को हटा सकती है जिससे वह निर्णय अप्रभावी हो जाता है। लेकिन इस देश में किसी भी विधायिका के पास राज्य की संस्थाओं को न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों की अवज्ञा या अवहेलना करने के लिए कहने की शक्ति नहीं है। न्यायालयों द्वारा जारी निर्देशों में हस्तक्षेप करने की विधायिका की शक्ति की सीमा पर इस न्यायालय के कई निर्णयों द्वारा विचार किया गया

[2] AIR 1944, F.C. 86.
[3] (3) AIR 1970 S.C. 192
[4] AIR 1970 SC 1292

था।

हालाँकि, इस सिद्धांत की महत्वपूर्ण पवित्रता श्रीमती के प्रसिद्ध मामले द्वारा प्रदान की गई है। इंदिरा नेहरू गांधी बनाम श्री राज नारायण,[5] इसमें संविधान के उनतीसवें संशोधन द्वारा डाले गए अनुच्छेद 329-ए को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत लोकसभा के लिए श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी के चुनाव को रद्द करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वैध रूप से दिए गए फैसले को उलटने और रद्द करने की मांग की गई थी। उपरोक्त अनुच्छेद 329-ए के खंड (4) ने प्रधान मंत्री से संबंधित चुनाव याचिका पर मौजूदा चुनाव कानून के आवेदन को पूर्वव्यापी रूप से निरस्त कर दिया और आगे अधिनियमित किया कि ऐसे चुनाव को शून्य घोषित करने वाले फैसले के बावजूद उक्त चुनाव जारी रहेगा। सभी प्रकार से वैध होगा और ऐसा कोई भी निर्णय और उस पर निष्कर्ष हमेशा शून्य और कोई प्रभाव नहीं माना जाएगा। इसके खंड (5) ने सुप्रीम कोर्ट को खंड (4) के प्रावधानों के अनुरूप उपरोक्त निर्णय के खिलाफ किसी भी अपील या क्रॉस-अपील पर निर्णय लेने का आदेश दिया। उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से बिना किसी हिचकिचाहट के उपरोक्त दो खंडों को रद्द कर दिया, जिससे यह स्थापित हो गया कि संवैधानिक संशोधन का सहारा लेकर भी मौजूदा चुनाव कानूनों की प्रयोज्यता को पूर्वव्यापी रूप से निरस्त नहीं किया जा सकता है और किसी न्यायालय का वैध निर्णय नहीं दिया जा सकता है। विधायी रूप से शून्य और शून्य या गैर-स्थायी बना दिया जाए। इस प्रकार संविधान की अंतिम संशोधन शक्ति भी सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के अंतिम निर्णय को उलटने या रद्द करने के लिए राज्य की न्यायिक शाखा में ज़बरदस्त घुसपैठ नहीं कर सकती है।

7. मदन मोहन पाठक और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य[6] मामले में एक बड़ी बेंच द्वारा बाद में की गई एक प्रतिपादन में इस सिद्धांत को दोहराया गया है और श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स मामले (सुप्रा) में कुछ हद तक व्यापक टिप्पणियों को समझाया और सीमित किया गया है। निम्नलिखित शब्द:-

"* *. हमें नहीं लगता कि यह निर्णय ऐसा कोई व्यापक प्रस्ताव देता है जैसा कि जीवन बीमा निगम की ओर से दावा किया गया है। इसमें यह नहीं कहा गया है कि जब भी किसी तथ्यात्मक या कानूनी स्थिति को पूर्वव्यापी कानून द्वारा बदल दिया जाता है, तो ऐसे तथ्यात्मक आधार पर न्यायालय द्वारा दिया गया न्यायिक निर्णय या परिवर्तन से पहले की कानूनी स्थिति, बिना अधिक जानकारी के, पार्टियों पर प्रभावी और बाध्यकारी होना बंद कर देगी। यह सच है कि इस निर्णय में कुछ टिप्पणियाँ हैं जो यह बताती हैं कि न्यायालय का निर्णय तब बाध्यकारी नहीं रह सकता जब जिन शर्तों पर वह आधारित है, वे इतनी मौलिक रूप से बदल गई हैं कि बदली हुई परिस्थितियों में निर्णय नहीं दिया जा सकता था। . लेकिन इन टिप्पणियों को उस प्रश्न के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए, जो उस मामले में विचार के लिए उठा था।

और फिर-

* * *. यदि तथ्यात्मक या कानूनी स्थिति में पूर्वव्यापी परिवर्तन के कारण, निर्णय गलत हो जाता है, तो उपचार अपील या समीक्षा के माध्यम से हो सकता है, लेकिन जब तक निर्णय कायम रहता है, तब तक इसकी अवहेलना या अनदेखी नहीं की जा सकती है और यह जीवन बीमा निगम द्वारा पालन किया जाना चाहिए। इसलिए, हमारा विचार है कि, किसी भी स्थिति में, चाहे विवादित अधिनियम संवैधानिक रूप से वैध हो या नहीं, जीवन बीमा निगम कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा जारी परमादेश की रिट का पालन करने के लिए बाध्य है और तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 1 अप्रैल 1975 से 31 मार्च 1976 तक वार्षिक नकद बोनस का भुगतान करने के लिए।

[5] AIR 1975 S.C. 2299
[6] AIR (1978)2 S.C.C. 50.

8. अमेरिकी संवैधानिक कानून के अनुरूप क्षेत्र में, जिसमें न्यायिक और विधायी शक्तियों का पृथक्करण कुछ हद तक अलग है, स्थिति समान है और अमेरिकी न्यायशास्त्र के खंड 46 के पृष्ठ 318-19 पर निम्नानुसार संक्षेपित किया गया है। 2डी-

"सामान्य नियम यह है कि विधायिका सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के अंतिम निर्णय को नष्ट, रद्द, अलग नहीं कर सकती, खाली नहीं कर सकती, बदला नहीं ले सकती, संशोधित नहीं कर सकती, या ख़राब नहीं कर सकती, ताकि निर्णय द्वारा निहित निजी अधिकारों को छीन लिया जा सके। ऐसा करने का प्रयास करने वाले क़ानून को विधायिका की ओर से न्यायिक शक्ति का प्रयोग करने के प्रयास के रूप में और कानून की उचित प्रक्रिया की संवैधानिक गारंटी के उल्लंघन के रूप में असंवैधानिक ठहराया गया है। विधायिका को न केवल न्यायालयों द्वारा पहले से तय किए गए मामलों को फिर से खोलने से प्रतिबंधित किया गया है, बल्कि किसी निर्णय की अंतर्निहित विशेषताओं को प्रभावित करने से भी मना किया गया है। यह क़ानून उपचारों को प्रभावित करने वाले अधिनियम की आड़ में है, इससे नियम में कोई बदलाव नहीं होता है..; "

9. उनके पहलू पर यह निष्कर्ष निकालना स्वयंसिद्ध प्रतीत होता है कि हमारे न्यायशास्त्र में राज्य की प्राचीन न्यायिक शाखा में कोई भी ज़बरदस्त विधायी घुसपैठ असंवैधानिक है।

10. एक बार ऐसा होने पर हमारे सामने मूल प्रश्न यह है कि क्या 1961 (1981 का व्यापक हरियाणा संशोधन अधिनियम 2) से पूर्वप्रभावी रूप से अधिनियम में धारा 13 को शामिल करके विधायिका ने क्षेत्राधिकार के वैध अभ्यास को समाप्त करके न्यायिक क्षेत्र में स्पष्ट रूप से घुसपैठ की है। दो दशकों से अधिक समय से सिविल न्यायालयों द्वारा और कुछ मामलों में अंतिम न्यायालय तक कानूनी रूप से तय किए गए निहित सार्वजनिक और निजी अधिकारों को निरस्त कर दिया गया है। इसके बाद बताए गए विस्तृत कारणों से, मेरे विचार से, इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से सकारात्मक प्रतीत होता है।

11. अब एक करीबी विश्लेषण से पता चलता है कि धारा 13, जैसा कि मूल रूप से 1961 में अधिनियमित किया गया था, ने केवल उन मामलों के संबंध में सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के खिलाफ एक सीमित रोक लगाई थी जो अधिनियम के संचालन से सख्ती से उत्पन्न हुए थे। परिणामस्वरूप वे सभी मुद्दे जो अधिनियम के प्रावधानों के बाहर उत्पन्न हुए या उससे परे थे, उन्हें आवश्यक रूप से सिविल न्यायालयों के पूर्ण क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं रखा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई, क्योंकि यह अच्छी तरह से तय हो चुका है कि कानून की सामान्य अदालतों के पूर्ण क्षेत्राधिकार के पूर्ण बहिष्कार का आसानी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। नतीजतन, उस क्षेत्र में, जो विशिष्ट रोक के दायरे में नहीं आता, सिविल न्यायालयों को निस्संदेह अधिनियम के तहत प्रदान किए गए मामलों के सहायक मामलों पर निर्णय लेने और पार्टियों के निजी और सार्वजनिक अधिकारों का निर्धारण करने का अधिकार क्षेत्र था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 1961 से 1974 तक सिविल न्यायालयों ने उन्हें सौंपे गए क्षेत्र के भीतर वैध रूप से अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया और निर्णय और डिक्री दिए, जो या तो वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा पुष्टि के कारण या इस तथ्य के कारण अंतिम रूप से प्राप्त हुए कि उन्हें चुनौती नहीं दी गई थी। . विशिष्ट और विशेष उदाहरण C.W.P 565 में याचिकाकर्ताओं के पक्ष में सिविल कोर्ट का दिनांक 13 नवंबर, 1973 का डिक्री है। 1981 की जिसकी एक तरह से सी.डब्ल्यू.पी. में डिवीजन बेंच द्वारा पुष्टि की गई थी। क्रमांक 5922 ऑफ़ 1975 में 10 सितंबर 1979 को सहायक कलेक्टर के किसी भी हस्तक्षेप को रद्द करने का निर्णय लिया गया। बाद में 1974 के हरियाणा अधिनियम संख्या 34 द्वारा विधायिका ने धारा 13 को प्रतिस्थापित किया और अधिनियम में धारा 13-ए और 13-बी को शामिल किया। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, धारा 13-ए की उप-धारा (3) प्रथम श्रेणी के सहायक कलेक्टर को कुछ आकस्मिकताओं में सिविल न्यायालयों के डिक्री को रद्द करने का अधिकार देती है, लेकिन करनाल सहकारी किसान सोसायटी के मामले (सुप्रा) में संपूर्ण धारा 13-ए को असंवैधानिक करार दिया गया था। इसलिए स्पष्ट रूप से 1961 से 1981 तक सिविल न्यायालयों ने उन्हें आवंटित क्षेत्र के भीतर

उनके सामने लाए गए मामलों पर फैसला सुनाया और उन पर निर्णय देकर वैध रूप से अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया।

12. 1981 के एक्टएफ2 द्वारा डाला गया वर्तमान अनुभाग 132 इस बीमारी को शून्य करने और मिटा देने का प्रयास करता है। कलम के एक झटके से सिविल न्यायालयों द्वारा दिए गए सभी निर्णयों और आदेशों को, उनमें निहित क्षेत्राधिकार के वैध प्रयोग में, लागू किया जा सकता है। जैसा कि पहले कहा गया है, ट्रायल कोर्ट के इन निर्णयों को उच्च न्यायालय और स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के हाथों से पुष्टि मिल सकती है। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है कि यह अच्छी तरह से तय हो चुका है कि ए. वैध रूप से दिए गए सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के फैसले को केवल विधायी आदेश द्वारा उलटा या निरस्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि न्यायिक और विधायी शाखाएँ अलग और अलग हैं और एक-दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण या घुसपैठ नहीं कर सकती हैं। जिस तरह कोई अदालत कानून नहीं बना सकती और कानून नहीं बना सकती, उसी तरह विधायिका संभवतः पार्टियों के व्यक्तिगत अधिकारों और देनदारियों पर फैसला नहीं दे सकती और खुद फैसला नहीं दे सकती, न ही वह अदालत द्वारा वैध रूप से दिए गए ऐसे फैसले को उलट या रद्द करके निरस्त कर सकती है। संक्षेप में, यहां तक कि वैध रूप से दिए गए एक भी फैसले को केवल विधायी आदेश के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है या गैर-स्थायी घोषित नहीं किया जा सकता है। यह श्रीमती की ओर से निकला पवित्र नियम है। इंदिरा नेहरू गांधी का सी ए एस ई; जहां संवैधानिक संशोधन द्वारा भी प्रधान मंत्री के चुनाव को शून्य घोषित करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को उलटा या रद्द नहीं किया जा सकता था। इसलिए, जिसे कानून के अंतिम स्रोत, अर्थात् संविधान या उसके संशोधन का सहारा लेकर भी प्रभावित नहीं किया जा सकता है, वह स्पष्ट रूप से सिविल न्यायालयों के पूर्वव्यापी अधिकार क्षेत्र को पूर्वव्यापी रूप से निरस्त करने वाले सामान्य कानून द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हासिल नहीं किया जा सकता है। यदि एक भी निर्णय के संबंध में ऐसा है, तो क्या यह संभवतः कहा जा सकता है कि दो दशकों में सिविल न्यायालयों द्वारा हजारों निर्णय वैध रूप से दिए गए हैं, जो उस समय माना जाता था कि क्षेत्राधिकार था और पार्टियों को प्रदान किए गए निहित अधिकारों को सरलीकृत उपकरण या यह घोषणा करने की चाल से शून्य किया जा सकता है कि सभी सिविल न्यायालयों को पूर्वव्यापी रूप से क्षेत्राधिकार से वंचित माना जाएगा।

13. एक तरह से मामले का मूल यह है कि क्या सिविल न्यायालयों के पूर्ण क्षेत्राधिकार का विधिवत प्रयोग किया जा रहा है, जिसे विधायी फ्लैट द्वारा पूर्वव्यापी रूप से निरस्त किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विधायिका एक सीमा के भीतर एक सीमित क्षेत्र में सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगा सकती है। यह भी कानूनी सीमाओं के अधीन केवल एक संकीर्ण क्षेत्र के भीतर ही किया जा सकता है। यहां तक कि जब किसी क़ानून द्वारा क्षेत्राधिकार पर रोक लगाई जाती है, तो आमतौर पर उसके तहत उत्पन्न होने वाली सूची के निर्णय के लिए एक वैकल्पिक मंच या न्यायाधिकरण प्रदान किया जाता है। अदालतें यहां तक कह चुकी हैं कि आम तौर पर न केवल एक न्यायाधिकरण का प्रावधान होना चाहिए, बल्कि पुनरीक्षण मंच नहीं तो कम से कम एक अपीलीय मंच का भी प्रावधान होना चाहिए। ऐसे सुरक्षा उपायों के अभाव में, सिविल अदालतों के पूर्ण क्षेत्राधिकार को पूरी तरह से बाहर करने वाला प्रावधान मनमानी की तरह लग सकता है और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो सकता है। फिर, व्याख्या का स्थापित नियम यह है कि पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ भी, सिविल अदालतों के अधिकार क्षेत्र के खिलाफ पूर्ण प्रतिबंध का आसानी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और यहां तक कि जहां यह कानून द्वारा लगाया गया है, यदि कार्रवाई उसी के बाहर है, तो यह फिर से होगा सामान्य न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के प्रति उत्तरदायी बनें। अब, यदि सिविल अदालतों के खिलाफ संभावित रोक के संबंध में भी ऐसा है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि कानून की सामान्य अदालतों के खिलाफ पूर्वव्यापी व्यापक रोक के मामले में उपरोक्त शर्तों, सुरक्षा उपायों और सीमाओं को आसानी से संतुष्ट नहीं किया जा सकता

है। वे पहले ही अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर चुके थे। विवाद के पूर्वव्यापी निर्णय के लिए एक वैकल्पिक न्यायाधिकरण या बीस साल पहले सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालतों द्वारा पहले से ही वैध रूप से तय किए गए और वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा पुष्टि किए गए मामलों के लिए अपीलीय और पुनरीक्षण मंचों के पदानुक्रम प्रदान करने की स्थिति की कल्पना करना आसान नहीं है। सर्वोच्च न्यायालयों द्वारा विधिवत न्यायनिर्णित और अंतिम रूप से पुष्टि किए गए नागरिकों के निहित सार्वजनिक और निजी अधिकारों को विधायिका द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र की अदालतों को पूर्वव्यापी रूप से वंचित करने के उद्देश्य से छीना नहीं जाना चाहिए और वास्तव में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि, संक्षेप में, यह केवल एक उपकरण होगा या न्यायिक क्षेत्र में घुसपैठ करने और जो पहले से ही कानूनी रूप से और अंततः निर्णय लिया गया है उसे रद्द करने और गैर-स्थायी बनाने के लिए एक लबादा। इसलिए, वर्तमान संदर्भ में, संक्षेप में, यह अधिनियमित करना कि बीस वर्षों की अवधि में दिए गए सभी नागरिक निर्णय और आदेश गैर-स्थायी हो जाने चाहिए, मेरी राय में विधायिका द्वारा संदिग्ध उपकरण के माध्यम से न्यायिक क्षेत्र में एक व्यापक आक्रमण है भौतिक समय पर सिविल न्यायालयों द्वारा विधिवत प्रयोग किए गए अधिकार क्षेत्र को निरस्त करना। हमारे सामने यह सही तर्क दिया गया था कि यदि इन्हें अनुमति दी गई तो पूरा सिद्धांत और अवधारणा कि विधायिका न्यायिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती, हास्यास्पद और भ्रामक हो जाएगी। यह घोषित करने का सरल उपाय कि सिविल न्यायालय या अन्य वैध रूप से गठित न्यायाधिकरण या न्यायिक प्राधिकरण को पूर्वव्यापी रूप से क्षेत्राधिकार से वंचित कर दिया गया है, स्वतः ही पहले से ही क्षेत्राधिकार के वैध अभ्यास को अमान्य और गैर-स्थायी के रूप में प्रस्तुत कर देगा। मैं इस पर हस्ताक्षर करने में असमर्थ हूं। मुझे यह एक अस्थिर प्रस्ताव प्रतीत होता है कि इस प्रकृति के एक व्यापक उपकरण द्वारा सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों द्वारा न्यायिक शक्ति के वैध प्रयोग को इस तरह मिटा दिया जा सकता है जैसे कि यह कभी अस्तित्व में ही नहीं था।

14. अंत में धारा 13 के प्रावधानों, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था या बाद में 1974 में प्रतिस्थापित किया गया था, की वर्तमान संशोधन के साथ एक स्पष्ट तुलना भी वास्तव में सार्थक है। विद्वान महाधिवक्ता, हरियाणा ने यह कहना उचित था कि वर्तमान धारा 13 निस्संदेह पहले के प्रावधानों की तुलना में दायरे और चौड़ाई में व्यापक है। स्पष्ट रूप से, एक ही झटके में यह पूर्वव्यापी रूप से 1961 से सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को छीन लेता है, यहां तक कि जहां निजी और सार्वजनिक अधिकारों का फैसला इसके तहत किया गया है। यदि धारा 13-ए के पहले के प्रावधानों को 1974 के अधिनियम 34 द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो अन्य बातों के साथ-साथ उसकी उप-धारा (3) द्वारा प्रदान किया गया था। कुछ निर्दिष्ट शर्तों पर पहले के सिविल डिक्री को रद्द करने को कुछ हद तक न्यायिक क्षेत्र में अतिक्रमण की प्रकृति में माना जाता था और अन्यथा असंवैधानिक माना जाता था, तो तुलनात्मक रूप से वर्तमान प्रावधान न्यायिक विंग पर एक बड़ा आक्रमण प्रतीत होता है। इसलिए, इस संकीर्ण बिंदु पर भी कि करनाल सहकारी किसान सोसायटी के मामले ने पूरी धारा 13-ए को असंवैधानिक बना दिया था, धारा 13 का वर्तमान प्रावधान इसके अनुपात के दायरे में दोगुना नहीं तो समान रूप से प्रतीत होता है। यह दोहराने योग्य है कि राज्य ने पहले अपील के माध्यम से उक्त निर्णय को चुनौती देने का विकल्प नहीं चुना था (और वास्तव में उसने वर्तमान संशोधन के माध्यम से इसके अनुरूप होने का प्रयास किया था) और न ही अब हमारे सामने इसकी शुद्धता पर सवाल उठाया गया था। इसलिए, करनाल सहकारी किसान सोसायटी के मामले के अतिरिक्त आधार पर भी, वर्तमान प्रावधान को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं दिखता है, जो निस्संदेह धारा 13-ए (3) के पहले प्रावधानों की तुलना में दायरे और चौड़ाई में व्यापक है। .

15. निःसंदेह एक मान्यता प्राप्त विधि है (जो न्यायिक रूप से पवित्र है) जिससे किसी निर्णय द्वारा अमान्य घोषित किए गए क़ानून को मान्य किया जा सकता है और 'पहले के निर्णय को अप्रभावी या निष्क्रिय कर दिया जा सकता है। इसे कई बार दोहराया गया है संख्या की बात यह है कि यदि

अपेक्षित क्षमता रखने वाली कोई विधायिका पूर्वव्यापी रूप से कानून में बदलाव करती है जिससे वह मूल आधार या आधार ही खत्म हो जाता है जिस पर ऐसा निर्णय दिया गया था, तो वह स्पष्ट रूप से अप्रभावी हो जाएगा। हालाँकि, यह सिद्धांत उस संकीर्ण क्षेत्र में काम करता है जहाँ वैधानिक परिवर्तन को काल्पनिक रूप से पूर्वव्यापी बनाया जा सकता है ताकि उस आधारशिला को नष्ट किया जा सके जिस पर निर्णय आधारित हो सकता है। इस नियम की सीमाएं पहले ही देखी जा चुकी हैं और मदन मोहन पाठक के मामले (सुप्रा) से उद्धृत की गई हैं। अब यहां जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स एक्ट 1961 में वर्णित पहले के मूल कानून में नाम के लायक कोई बदलाव या तो विवादित धारा 13 या धारा 13-ए से 13-डी द्वारा अब शामिल नहीं किया गया है। 1981 का अधिनियम 2। शमिलत देह को इसके विस्तृत पांच उप-खंडों में परिभाषित करने वाली धारा 2(जी) के मुख्य प्रावधान पूरी तरह से अछूते हैं, साथ ही अन्य भौतिक प्रावधान भी समान रूप से अपरिवर्तित हैं। निस्संदेह शमिलत देह का गठन और इसकी परिभाषा वह आधारशिला है जिस पर अधिनियम के शेष प्रावधानों की अधिरचना खड़ी की गई है। शीर्षक के प्रश्न कि क्या निश्चित लिंग शमिलत देह है या नहीं और उससे जुड़े मुद्दे मुख्य रूप से इसी आधार से उत्पन्न होते हैं। नतीजतन, मूल आधार जिस पर 20 वर्षों में सिविल न्यायालयों द्वारा सभी निर्णय और सिविल डिक्री दिए गए थे, 1981 के संशोधित प्रावधानों के बाद भी बरकरार और अक्षुण्ण है। इसलिए इसे दूर से भी नहीं कहा जा सकता है (न ही हमारे सामने इस पर बहस भी की गई थी) कि उन निर्णयों का आधार या नींव, अर्थात् वैधानिक प्रावधान जिस पर वे आधारित थे और पार्टियों के अधिकार जिन पर वे संचालित होते हैं, किसी भी तरह से मौलिक रूप से बदल दिए गए थे ताकि ऐसे निर्णय पूरी तरह से भ्रामक हो जाएं। इस प्रकार यह स्पष्ट होगा कि पहले के निर्णय या निर्णयों को अप्रभावी बनाने की सुप्रसिद्ध और स्वीकृत पद्धति का वर्तमान मामले में दूर-दूर तक सहारा नहीं लिया गया है। इसलिए, विवादित संशोधन ऐसे किसी भी संरक्षण के दायरे में नहीं आते हैं।

16. श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम ब्रोच बरो नगर पालिका,[7] पर अपने पक्ष को कायम रखने के लिए हरियाणा के विद्वान महाधिवक्ता द्वारा बहुत अधिक भरोसा किया गया था। हालाँकि, मैं यह देखने में असमर्थ हूँ कि यह मामला या इसके समान अन्य मामले प्रतिवादी-राज्य के मामले को कैसे आगे बढ़ाएँगे। इस मामले में बॉम्बे म्यूनिसिपल बरो अधिनियम 1925 की धारा 13 के तहत ब्रोच बरो नगर पालिका द्वारा कर लगाने को बाद में गुजरात नगर पालिकाओं द्वारा कर लगाने (मान्यता) अधिनियम, 1963 द्वारा मान्य करने की मांग की गई थी। मान्यता को बरकरार रखते हुए, न्यायालय ने माना कि विधायिका के पास भूमि और भवनों पर कर लगाने की शक्ति है और वैध अधिनियम ने मौजूदा प्रावधानों के तहत इस तरह के कर लगाने की अक्षमता को पूर्वव्यापी रूप से हटा दिया है। यह संक्षेप में उलटे मामले को प्रस्तुत करता है जहां एक कर क़ानून में पहले की कमजोरी (यहां तक कि जहां कानून की अदालत द्वारा घोषित की गई हो) को विधायिका द्वारा ठीक किया जाता है, जिसमें अवैधता या अमान्यता को पूर्वव्यापी रूप से हटाने की क्षमता होती है। यह अब अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया गया है कि एक सक्षम विधायिका पूर्वव्यापी संशोधन द्वारा किसी भी दोष या अवैधता को दूर कर सकती है और इस तरह जो मूल रूप से ऐसा नहीं था उसे मान्य और कानूनी बना सकती है। हालाँकि, इसका विपरीत आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। इससे यह अनिवार्य रूप से नहीं निकलता है कि सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा एक निर्णय जो कि जब प्रदान किया गया था वह पूरी तरह से वैध और कानूनी था, इसलिए सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को एक कंबल फैशन में छीनने के कथित उपकरण द्वारा अवैध और गैर-कानूनी बनाया जा सकता है। . ऐसा मदन मोहन पाठक के मामले (सुप्रा) में विस्तार और व्याख्या से प्रतीत होता है। इसे संक्षेप में कहें तो, अपेक्षित क्षमता और शक्ति रखने वाली विधायिका किसी भी कार्रवाई या पहले के कानून को मान्य करने के लिए संकीर्ण सीमा के भीतर पूर्वव्यापी रूप से दोष को ठीक कर सकती है, लेकिन पूर्वव्यापी रूप से सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के निर्णयों को अमान्य

[7] AIR 1974 S.C. 192

और अमान्य नहीं कर सकती है, जो उस समय उनका प्रतिपादन पूरी तरह से कानून के दायरे में था।

17. संक्षेप में, उत्तरदाताओं की ओर से अपना पक्ष रखा जा सकता है। युक्तिवाक्य। यह प्रस्तुत किया गया कि विधायिका के पास सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर संभावित रूप से रोक लगाने की शक्ति है। समान रूप से यह तर्क दिया गया कि विधायिका को पूर्वव्यापी रूप से कानून बनाने का भी अधिकार है। इन आधारों पर यह तर्क दिया गया कि इन दोनों को एक साथ जोड़कर सिविल न्यायालयों के वैध रूप से प्रयोग किए जाने वाले क्षेत्राधिकार को बिना किसी योग्यता के पूर्वव्यापी रूप से छीनने का अधिकार तैयार किया जाना चाहिए। मैं ऐसे किसी भी व्यापक समर्पण को स्वीकार करने में असमर्थ हूं। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है कि सियिल न्यायालयों के सामान्य क्षेत्राधिकार पर संभावित रोक केवल सख्त सीमाओं के भीतर ही लगाई जा सकती है। इसी प्रकार पूर्वव्यापी रूप से अधिनियमित करने और मान्य करने की शक्ति स्वयं कई शर्तों से बंधी हुई है। सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा वैध रूप से दिए गए निर्णय या डिक्री को पलटने के लिए शक्तियों के पृथक्करण के दृढ़ आधार पर विधायी विंग पर प्रतिबंध के संबंध में पहले ही उच्च प्राधिकारी को संदर्भ दिया जा चुका है। इस क्षेत्र में, इसलिए, यह असंभव लगता है कि यदि एक भी निर्णय को ओवरराइड नहीं किया जा सकता है, तो फिर भी प्रदान किए गए निर्णयों की एक श्रृंखला की वैधता को पूर्वव्यापी रूप से न्यायालयों को उनके अधिकार क्षेत्र से वंचित करने के सरल उपकरण द्वारा रद्द किया जा सकता है। मेरे विचार से अन्यथा धारण करना विधायिका और न्यायिक क्षेत्र को अलग करने की पवित्र अवधारणा को खारिज करना होगा।

18. उपरोक्त विस्तृत कारणों के लिए, 1981 के पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) हरियाणा संशोधन अधिनियम 2 की विवादित धारा 4 द्वारा 1961 के बाद से उनके द्वारा वैध रूप से उपयोग किए जाने वाले सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का पूर्वव्यापी निरसन, स्पष्ट रूप से एक खाई के बराबर है। विधायिका द्वारा न्यायिक शक्ति पर। नतीजतन, उपरोक्त धारा का प्रासंगिक हिस्सा 4 मई, 1961 से धारा 13 को काल्पनिक रूप से प्रतिस्थापित करता है और इस प्रकार उक्त तिथि से पूर्वव्यापी प्रभाव डालता है, इसे असंवैधानिक माना जाता है और इसके द्वारा इसे रद्द कर दिया जाता है।

19. इस स्तर पर यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि धारा 13 के संभावित संचालन को हमारे और हमारे सामने चुनौती नहीं दी गई थी 19. इस स्तर पर यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि धारा 13 के संभावित संचालन को हमारे सामने चुनौती नहीं दी गई है और अनिवार्य रूप से हम उस पर कोई राय नहीं देते हैं।

20. उपरोक्त के आवश्यक परिणाम स्वरूप सी.डब्ल्यू.पी. 1981 की संख्या 565 (बरजिंदर सिंह आदि बनाम हरियाणा राज्य आदि) याचिकाकर्ताओं के पक्ष में 13 नवंबर, 1973 को मुकदमा संख्या 1391 में पारित सिविल कोर्ट की डिक्री, जिसे पहले डिवीजन बेंच ने कायम रखा था 1975 के सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 5922 में 10 सितंबर, 1979 को तय किए गए फैसले को इसके द्वारा बरकरार रखा गया है और इसे रद्द करने की कार्यवाही में लगाए गए आवेदन अनुलग्नक पी/2 और आक्षेपित आदेश, अनुलग्नक पी/3 को एतद्द्वारा रद्द कर दिया गया है। याचिकाकर्ता अपनी लागत के हकदार होंगे।

21. ऐसा प्रतीत होता है कि 1970 के आर.एस.ए. 1213 (ग्राम सभा बनाम जय लाई इत्यादि) में कई अन्य मुद्दे भी उठ सकते हैं, इसलिए, उपरोक्त महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न के उत्तर के अनुसार गुण-दोष के आधार पर निर्णय के लिए एकल पीठ के समक्ष वापस जाएं।

प्रेम चंद जैन, जे.-मैं सहमत हूं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णयर्ण वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह अपनी भाषा मेंइसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णयर्ण का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुकत रहेगा ।

Checked By:
Deepak yadav
Trainee Judicial Officer
Chandigarh Judicial Academy
Chandigarh